पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम–02–08/2025/ 14(अ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी
(अरवल, शेखपुरा एवं शिवहर को छोड़कर), बिहार।

पटना, दिनांक 04/06/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10(स्वी०) दिनांक 25.05.2026 के आलोक में ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों हेतु कुल ₹67,50,00,000.00 सड़सठ करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 एवं 03(स्वी०) दिनांक 12.05.2021 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10(स्वी०) दिनांक 25.05.2026 द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–01 के अनुरूप क कुल ₹67,50,00,000.00 (सड़सठ करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–01 के अनुरूप कुल ₹67,50,00,000.00 (सड़सठ करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि को जिलावार निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :–

राशि रूपये में

क्र०सं०	जिला का नाम	आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि
1	2	3
1	Araria	24000000.00
2	Aurangabad	21000000.00
3	Banka	28000000.00
4	Begusarai	19000000.00
5	Bhagalpur	5000000.00
6	Bhojpur	25000000.00
7	Buxar	8000000.00
8	Darbhanga	14000000.00
9	Gaya ji	29000000.00
10	Gopalganj	5000000.00
11	Jamui	2000000.00

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2026-27\State Scheme\Panchayat Sarkar Bhawan 2026-27\Letter.docx

P.T.O

12	Jehanabad	2000000.00
13	Kaimur (Bhabua)	45000000.00
14	Katihar	25000000.00
15	Khagaria	10000000.00
16	Kishanganj	2000000.00
17	Lakhisarai	10000000.00
18	Madhepura	7000000.00
19	Madhubani	49000000.00
20	Munger	2000000.00
21	Muzaffarpur	41000000.00
22	Nalanda	17000000.00
23	Nawada	25000000.00
24	W Champaran	13000000.00
25	Patna	71000000.00
26	E Champaran	52000000.00
27	Purnia	7000000.00
28	Rohtas	14000000.00
29	Saharsa	5000000.00
30	Samastipur	17000000.00
31	Saran	18000000.00
32	Sitamarhi	13000000.00
33	Siwan	29000000.00
34	Supaul	8000000.00
35	Vaishali	13000000.00
Total		**675000000.00**

सड़सठ करोड़ पचास लाख रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–पंचायती राज–उपशीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवन" मद के विषय शीर्ष '0108.53.01–मुख्य निर्माण कार्य' इकाई से किया जायेगा। इसका मांग सख्या 16 एवं विपत्र कोड 16–4515001010108 है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019, 03(स्वी०) दिनांक 12.05.2021 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 75(स्वी०) दिनांक 27.01.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि को पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को कार्य प्रारंभ करने के समय तकनीकी स्वीकृति की राशि का 5 प्रतिशत Mobilization Advance के रूप में तथा निर्माण प्रारंभ होने के उपरांत

मापीपुस्त में भौतिक प्रगति की प्रविष्टि के आधार पर CFMS के माध्यम से ग्राम पंचायत के खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।

6. इस आवंटित राशि से व्यय की जाने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में नियमानुसार जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे, ताकि इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना कार्यालय में समायोजित कराया जा सकें।

7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस आवंटित राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

11. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

12. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

13. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–08/2025 के पृष्ठ संख्या 26/टि० पर दिनांक 03/06/26 को प्राप्त है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन) 4/6/26

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–08/2025/14(आ.)/पं०रा०पटना, दिनांक 04/06/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 4/6/26

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–08/2025/14(आ.)/पं०रा० पटना, दिनांक 04/06/202

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 4/6/26

अपर सचिव